न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) टाण्डा, अम्बेडकरनगर।

मूलवाद संख्या –655/12

महाबल--- बनाम--- रामचन्दर

निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या–19 क 1

दिनांक–25.03.2022

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। वादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी अनुपस्थित पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज सं०–19 क 1 पेश है।

प्रार्थना पत्र कागज सं०–19 क 1 मय शपथ पत्र वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सपठित आदेश 6 नियम 17 जा०दी० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वाद उपरोक्त में वादी महाबल का देहान्त दिनांक 08.07.2021 को हो गया है जिनके निकटतम कायम मुकामान व वारिसान में उनकी पत्नी फूला देवी, पुत्र दिलीप कुमार तथा पुत्रियाँ सरिता व रीता देवी है। इनके अलावा मृतक का कोई और वारिसान नहीं है। ऐसे में वाद पत्र में संशोधन करने की याचना वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा की गयी है।

प्रतिवादी न तो उपस्थित है और न ही उसके द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वादी महाबल का देहान्त दिनांक 08.07.2021 को हो गया है जिनके निकटतम कायम मुकामान व वारिसान में उनकी पत्नी फूला देवी, पुत्र दिलीप कुमार तथा पुत्रियाँ सरिता व रीता देवी है। वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र मियाद अन्दर प्रस्तुत किया गया है। मृतक के उपरोक्त वारिसान जरिए वकालतनामा कागज सं०–21ग 2 पत्रावली में उपस्थित है। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। पत्रावली सन् 2011 से लम्बित चल रही है जिसका शीघ्र निस्तारण माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार अपेक्षित है। मृतक वादी महाबल के वारिसानो का प्रतिवादीके विरूद्ध वादकारण शेष है। उपरोक्त तथ्य परिस्थितियो में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र कागज सं०–19 क 1 स्वीकार किया जाता है। वादीगण/प्रार्थीगण वाद पत्र में आवश्यक संशोधन अन्दर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त जवाबदावा दिनांक 30.04.2022 को पेश हो।

(अजय कुमार मिश्र)
सिविल जज (जू०डि०)टाण्डा,
अम्बेडकरनगर।
जे०ओ० कोड यू०पी० 2520